सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 98 राँची, गुरुवार, 29 पौष, 1938 (श०)
19 जनवरी, 2017 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

17 जनवरी, 2017

विषयः- **अनुसूचित जनजाति की भूमि का अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि का अवैध हस्तांतरण की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1380/रा. दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा गठित विशेष जाँच दल (SIT) को समाप्त करने के संबंध में ।**

संख्या-6/SIT का गठन-472/15-237/रा.-- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के भूमि की सुरक्षा हेतु प्रदत्त प्रावधानों के विरूद्ध उसका गलत व्याख्या कर अनुसूचित जनजातियों की भूमि तथा सरकारी भूमि का हुए अवैध हस्तांतरण की जाँच हेतु मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24 मार्च, 2015 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृत्योपरांत निर्गत राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-1380/रा. दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) का गठन वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 तक अर्थात् 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए किया गया ।

2. विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) के पत्रांक-81/SIT दिनांक 4 मार्च, 2016 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यकाल में अंतिम जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना संभव नहीं है । अतः विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) की आवश्यकता को दृष्टिपथ रखते हुए मंत्रिपरिषद् की दिनांक 15 मार्च, 2016 की सम्पन्न बैठक के मद् सं.-25 के अंतर्गत अवधि विस्तार की स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प सं.-1142/रा. दिनांक 17 मार्च, 2016 द्वारा विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) के कार्यकाल का अवधि विस्तार अगले 01 (एक) वर्ष के लिए यानि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक के लिए किया गया था ।

3. विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) द्वारा अनुसूचित जनजातियों की भूमि तथा सरकारी भूमि की अवैध हस्तांतरण से संबंधित मामलों का जाँच प्रतिवेदन अंतिम रूप से विभाग को समर्पित कर दिया गया है, जिसे नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित उपायुक्तों (सक्षम प्राधिकार) को उपलब्ध करा दिया गया है ।

कृ.पृ.उ.

-2-

4. विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) द्वारा अंतिम रूप से जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करने के पश्चात् विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) को बनाये रखने का औचित्य नहीं रह गया है, जिससे संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर ली गई थी ।

5. उल्लेखनीय है कि श्री देवाशीष गुप्ता, तत्कालीन अध्यक्ष, विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) एवं श्री अरूण कुमार गुप्ता, तत्कालीन सदस्य, विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2017 को विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) का क्रमशः अध्यक्ष एवं सदस्य पद का स्वतः परित्याग कर दिया गया है ।

6. विभागीय संकल्प सं.-1380/रा., दिनांक 1 अप्रैल, 2015 द्वारा गठित विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) को समाप्त किये जाने के निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 16 जनवरी, 2017 की बैठक के मद् सं.-04 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. उक्त निर्णय के आलोक में गठित विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 98--50